प्र०सं० 397/22 आरबी / दुनीराम

निष्पादन नही करवाने पर प्रार्थी संजय कुमार ने सिविल न्यायालय में बैयनामा करवाने का वाद पेश किया गया जो प्रार्थी संजय कुमार के पक्ष में निर्णित हो चुका है एव न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 दुनीराम को प्रार्थी संजय कुमार के पक्ष में बैयनामा करवाने हेतु पाबन्द भी किया जा चुका है सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 0.6320हैक भूमि का बैयनामा करवाने का अधिकारी है अर्थात वाद भूमि में प्रार्थी संजय कुमार का हक निहित हो गया है इसलिये प्रार्थी वाद/प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हो गया है जिसे सुना जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी संजय कुमार का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संजय कुमार को बतौर प्रतिवादी संख्या 6 वाद में समायोजित/बनाया जाता है लाल स्याही से अंकन किया जावे प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के रजिस्टर सम्मन पूर्व में पेश हो चुके है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 न्यायालय में उपस्थित नही आये है पत्रावली इन्तजार/कार्यवाही /जबाब प्रतिवादी संख्या 6 हेतु दिनांक 06.08.2024 को पेश हो।

6/8/24 बवुलाय करिवेन उपस्थित अभाव हेतु समय चाहा पत्रावली अभाव हेतु दि 19/9/24 को पेश हो।

19/9/24 पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. अन्य कार्य से व्यस्त पत्रावली दि० 18/11/24 को पेश हो।

18/11/24 पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. अन्य कार्य से व्यस्त पत्रावली दि० 12/3/25 को पेश हो।

12/3/25 बवुलाय करिवेन उपस्थित अभाव हेतु समय चाहा पत्रावली अभाव हेतु दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

23/5/25 बवुलाय करिवेन उपस्थित अभाव हेतु समय चाहा पत्रावली अभाव हेतु दिनांक 19/8/25 को पेश हो।

19/8/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी/वादी उपस्थित नही पुनः वकील वादी/वादी को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादी या वादी का लीडर उपस्थित नही वाद वादी अदम पैरवी अदम तजवी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.22 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर